295

बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना
एम.आई.डी.एच. (राष्ट्रीय बागवानी मिशन)
सामान्य कार्यान्वयन अनुदेश,
वित्तीय वर्ष 2022-23

स्वीकृत्यादेश संख्या : पी०पी०एम०-48/2021-69 दिनांक 22.07.2022

"एकीकृत बागवानी विकास मिशन" (Mission for Integrated Development of Horticulture) की उपयोजना "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" केन्द्र प्रायोजित योजना है। यह योजना राज्य के 23 जिलों यथा– अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण में संचालित है। बागवानी फसलों को बढ़ावा देना कृषि रोड मैप का एक प्रमुख लक्ष्य है। फसल विविधिकरण अन्तर्गत बागवानी फसलों की खेती से कृषकों की आय में वृद्धि होती है। राज्य में बागवानी फसलों (फल, सब्जी, फूल, मसाला, सगंधीय पौधे एवं मखाना आदि) की उत्पादकता एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से एम.आई.डी.एच. (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) योजनान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण सामग्री/बीज की उपलब्धता, क्षेत्र विस्तार, मशरूम, संरक्षित खेती, मधुमक्खी पालन, कूल एवं वैल्यू चेन डेवलपमेंट, मूल्यवर्धन हेतु फसलोत्तर प्रबंधन एवं बाजार के लिए आधारभूत संरचना का विकास एवं कृषक कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में शामिल अवयवों को निम्न तीन श्रेणियों में विभक्त हैं :–

(क) **क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम** :– इस कार्यक्रम के तहत् मौसमी, वार्षिक एवं बहुवर्षीय फलदार वृक्षों के नये बाग की स्थापना (स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, अनानास, आम, लीची, केला, पपीता, आँवला, अमरूद एवं अन्य एक्जोटिक एवं नीके फसल)/पुष्प/मसाला/सगंधीय पौधे/हाईब्रीड सब्जी का क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम मुख्य रूप से सम्मिलित हैं।

(ख) **इनपुट/सामग्री/कम्पनी आधारित कार्यक्रम** :– इस श्रेणी के तहत् फ्रॉन्ट लाईन डिमॉन्स्ट्रेशन, मधुमक्खी बॉक्स, मधुमक्खी छत्ता, मधु निष्कासन यंत्र फूड ग्रेड कन्टेनर सहित, पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, मल्चसीट इत्यादि कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

नोडल पदाधिकारी
MIDH, (NHM)
बिहार बागवानी विकास सोसाइटी, पटना

२९५

(ग) **परियोजना आधारित कार्यक्रम** :– इस श्रेणी में पैक हाउस, इन्टीग्रेटेड पैक हाउस, कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज निर्माण एवं आधुनिकीकरण, सप्लाई चेन, रिटेल–आउटलेट, अपनी मंडी, राईपनिंग चैम्बर आदि परियोजना आधारित कार्यक्रम मुख्य रूप से सम्मिलित हैं।

योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका एवं प्रशासी विभाग द्वारा संसूचित कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में अनुमोदित Cost Norms के अनुरूप ही किया जायेगा।

2. **योजना के तहत् लाभुक चयन हेतु कृषक की पात्रता एवं प्रक्रिया** :–

2.1 प्रत्येक कृषक को स्वीकृत योजना के प्रत्येक अवयव का लाभ पाने के लिए सर्वप्रथम कृषि विभाग के डी.बी.टी. कार्यक्रम हेतु संचालित एम.आई.एस. पोर्टल http://dbtagriculture.bihar.gov.in जो कि कृषि विभाग के विभागीय बेवसाईट से भी Linked है, पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, तभी वे योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

2.2 डी.बी.टी. पोर्टल पर पंजीकरण कराने के पश्चात् कृषक को एक Unique ID प्राप्त होगा। इस Unique ID को कृषकों द्वारा Online आवेदन हेतु विकसित Portal में निर्दिष्ट स्थान पर अनिवार्य रूप से दर्ज करते हुए Online आवेदन किया जायेगा।

2.3 जिन कृषकों द्वारा पूर्व में कृषि विभाग के किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग के DBT Portal dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकरण कराया जा चुका है तथा Unique IDप्राप्त किया जा चुका है, उन्हें पुनः उक्त Portal पर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे कृषकों द्वारा पूर्व के Unique ID से ही योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु Online आवेदन किया जायेगा।

2.4 प्रत्येक अवयव के लिए अलग–अलग कृषकों का चयन किया जायेगा।

2.5 **जिन कृषकों द्वारा विगत तीन वर्षो के अन्दर इस योजना के किसी अवयव का लाभ लिया जा चुका है, उक्त कृषक का चयन उक्त अवयव के लिए नहीं किया जायेगा, परंतु वे अन्य अवयवों के लिए पात्र होंगे। Online आवेदन के स्वीकृति एवं कार्यादेश निर्गत के पहले सहायक निदेशक उद्यान इसे Online Portal पर अंकित घोषणा पत्र में प्रमाणित करना सुनिश्चित करेगें।**

22/07/2022
नोडल पदाधिकारी
MIDH, (NHM
बिहार बागवानी विकास सोसाइटी

2.6 एक ही परिवार में पति एवं पत्नी योजना के लाभुक हो सकते हैं, बशर्ते पति एवं पत्नी के नाम से अलग–अलग भूमि Registered हों तथा भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र हो, अन्यथा किसी एक को ही लाभ मिल सकता है।

2.7 श्रेणीवार कार्यक्रम के तहत योजना के लाभ लेने हेतु निम्न प्रकार के कागजात आवश्यक होंगें।

क्र० सं०	अवयव	भूमि से संबंधित वांछित कागजात
1	बहुवर्षीय फलदार वृक्षों का क्षेत्र विस्तार	भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/अद्यतन रसीद
2	मौसमी फसल यथा – फूल/मसाला/सगंधित पौधे/सब्जी की खेती	भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/अद्यतन रसीद/एकरारनामा (गैर–रैयत हेतु)
3	परियोजना आधारित कार्यक्रम	भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/निबंधित लीज

वैसे कृषकों का भी चयन किया जा सकता है, जिनके पास पारिवारिक भूमि उपलब्ध हो। पारिवारिक भूमि होने की स्थिति में भूमि से संबंधित वांछित कागजात के साथ वंशावली समर्पित करना अनिवार्य होगा। **राज्य सरकार द्वारा वंशावली निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।**

जिस जिला में कृषक का भूमि होगा (रैयत/गैर–रैयत) उसी जिला में योजनान्तर्गत लाभ देने की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

2.8 Online App में आवेदक के द्वारा Upload की गई भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/राजस्व रसीद/एकरारनामा में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा तथा निहीत कारण Online Portal में दर्ज की जायेगी।

2.9 **यदि भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/राजस्व रसीद Online Generated Upload किया गया है, उस पर भी योजना का लाभ दिया जायेगा। भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र, दो साल पूर्व से अद्यतन राजस्व रसीद/ एकरारनामा चालू वित्तीय वर्ष का होने पर ही लाभ दिया जाय।**

2.10 कृषक चयन में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु निर्धारित किये गये आरक्षण व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जो स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना में स्पष्ट है। कृषक चयन में 30 प्रतिशत

नोडल पदाधिकारी
MIDH, (NHM)
बिहार बागवानी विकास सोसाइटी

महिलाओं की भागीदारी प्रत्येक वर्ग से सुनिश्चित करने का यथासंभव प्रयास किया जायेगा।

2.11 जिले में भारत सरकार/बिहार सरकार के विभिन्न योजनाओं के संबंध में Jeevika/Vegfed/BAVAS एवं NABARD द्वारा गठित FPOs/ पंजीकृत FPC/FPO/ कृषक समूह को जागरूक किया जायेगा एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अवयवों से प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार लाभान्वित किया जायेगा।

2.12 मधुमक्खी पालन एवं मशरूम किट वितरण अवयव हेतु भूमि की अनिवार्यता नहीं होगी। परंतु मधुमक्खी पालन एवं मशरूम का प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से उनके पास उपलब्ध हो। मधुमक्खी पालन का कम से कम **तीन दिवसीय तथा मशरूम का दो दिवसीय** प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए।

2.13 मधुमक्खी पालन एवं मशरूम उत्पादन कार्यक्रम हेतु यथासम्भव महिला कृषकों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.14 मधुमक्खी पालन योजना के लिए कृषकों का प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र राज्य के कृषि विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत संस्थान, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, के.भी.आई.सी., आत्मा, सरकारी संस्थानों, उद्यान निदेशालय, जीविका, CoE से निर्गत ही मान्य होगा। किसी भी परिस्थिति में बागवानी मिशन के अधीन पंजीकृत या सदृश्य प्राईवेट मधुमक्खी पालन अवयव आपूर्त्ति करने वाले फर्मों द्वारा निर्गत प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

2.15 स्वीकृत योजना के अवयवों के क्रियान्वयन जिले के Potential Block में कलस्टर में किया जायेगा तथा प्रखंडवार लक्ष्य का उपावंटन भी इसी अधार पर किया जायेगा।

2.16 फलों के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत GI Tag प्राप्त प्रजाति को विशेष क्षेत्र में यथासम्भव Promote किया जायेगा।

3. <u>Online App में Upload की जाने वाली आवश्यक कागजात :–</u>

3.1 भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/अद्यतन रसीद/एकरारनामा/वंशावली।

3.2 कृषक का फोटोग्राफ।

3.3 पंजीकृत समूह का COI (Certificate of incorporation) यदि है/पंजीयन संख्या/कम्पनी का NOC (No objection certificate)

नोडल पदाधिकारी
MIDH, (NHM)
बिहार बागवानी विकास सोसाइटी, पटना

4. Online आवेदन से कार्यान्वयन तक के अवधि में विभिन्न स्तर पर समय सीमा।

स्वीकृत योजना के विभिन्न्न अवयवों के तहत लाभ लेने हेतु इच्छुक कृषक स्वयं/पंचायत के किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/ATM/BTM के सहयोग से **अवयवार कार्यान्वयन के उचित समय** को ध्यान में रखते हुए Online आवेदन कर सकते हैं।

⇓

Online आवेदन का मैसेज संबंधित प्रखंड के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी एवं संबंधित आवेदक को उपलब्ध होगा जिसके आधार पर सत्यापन का कार्य किया जायेगा।

⇓

इच्छुक कृषकों के द्वारा अवयववार योजना का लाभ लेने हेतु किया गया Online आवेदनों में वर्णित भूमि/Upload किया गया कागजातों की जाँच/सत्यापन संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के द्वारा **क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम एवं इनपुट आधारित कार्यक्रमों को सात (7) दिनों तथा परियोजना आधारित अवयवों को 10 दिनों के अन्दर** किया जायेगा तथा सत्यापित Online आवेदनों को सहायक निदेशक उद्यान के Login में कार्यादेश निर्गत हेतु भेजा जायेगा। Accept/Reject की सूचना संबंधित सहायक निदेशक उद्यान एवं संबंधित आवेदक को स्वतः जायेगा।

⇓

सहायक निदेशक उद्यान द्वारा **प्रत्येक दिन** अपने स्तर से जाँचोपरान्त अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर स्वीकृति योग्य आवेदनों के विरूद्ध कार्यादेश निर्गत करने का कार्य किया जायेगा। जिसका मैसेज संबंधित कृषक के पंजीकृत मोबाईल पर जायेगा तथा कार्यादेश की प्रति कृषक स्वयं डाउनलोड कर कार्य प्रारंभ करेगें। इनपुट आधारित कार्यक्रमों से संबंधित कार्यादेश निर्गत होने की सूचना कृषक एवं चयनित आपूर्तिकर्ता को भी SMS के माध्यम से प्राप्त हो जायेगा।

5. <u>जिला उद्यान कार्यालय में प्राप्त Online आवेदन का अवयवार संधारण –:</u>

5.1 अवयवार संचिका, लेखापाल द्वारा संधारित किया जायेगा, जिसमें Online निर्गत कार्यादेश की प्रति सुरक्षित रखी जायेगी।

5.2 अवयवार संधारित पंजी से कार्य निष्पादन उपरान्त भौतिक सत्यापन कराने, अनुदान भुगतान इत्यादि से संबंधित कार्रवाई पर सक्षम प्राधिकार (सहायक निदेशक उद्यान) से आदेश प्राप्त किया जायेगा। योजनान्तर्गत किसी प्रकार के पत्राचार इन्हीं

20/07/2022
नोडल पदाधिकारी
MIDH, (NHM)
बिहार बागवानी विकास सोसाइटी

(270)

संचिकाओं से ही किया जायेगा। यदि किसी अवयव के तहत् कृषक का भौतिक सत्यापन असंतोषप्रद पाया जाता है और नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने पर इसकी सूचना संबंधित कृषकों को Online मैसेज के आधार पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

6. <u>कार्यक्रम हेतु आवश्यक पौध रोपण सामग्री, उपादान इत्यादि की उपलब्धता</u> :–

6.1 वार्षिक कार्य योजना में सन्निहित फलों/सब्जियों/पुष्पों के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम हेतु Quality Planting Materials की उपलब्धता विभागीय नर्सरी/कृषि विश्वविद्यालय अधीनस्थ नर्सरी/Centre of Excellence/Central/State Seed Organization/PSU Including NAFED या Competitive Bidding से चयनित एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।

कृषकों को फलदार पौध रोपण सामग्री राज्य बागवानी मिशन से संबद्ध किये गये श्रोतों से DBT in Cash/DBT in Kind (दोनों में से किसी भी युक्ति से जैसे कृषक चाहे) उपलब्ध कराया जायेगा।

6.2 पपीता का रेड लेडी/गायनोडायेशियस पौध रोपण सामग्री, सेन्टर ऑफ एक्सेलेंस, देसरी, वैशाली से पौधा उपलब्धता की वर्तमान व्यवस्था के आलोक में संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा। **अन्य किसी श्रोत से पपीता पौध प्राप्ति की स्थिति में इस अवयव का अनुमान्य अनुदान संबंधित कृषकों को देय नहीं होगा।**

6.3 टिश्यू कल्चर केला के पौधा मिशन मुख्यालय द्वारा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय/बिहार कृषि विश्वविद्यालय एवं निविदा के द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से निर्धारित दर पर कृषकों को DBT in Cash/DBT in Kind (जैसा कृषक चाहे) उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

6.4 Other Aromatic Plants/फूल की खेती/मसाला की खेती हेतु पौध सामग्री/बीज की व्यवस्था कृषक द्वारा स्वयं अथवा सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा किया जायेगा।

6.5 स्ट्रॉबेरी/ड्रैगन फ्रूट/अनानास के पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता कृषक स्वयं के स्तर से अथवा सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

21/07/2022
नोडल पदाधिकारी
MIDH, (NHM)
बिहार बागवानी विकास सोसाइटी

6.6 राज्य में अवस्थित कृषि विश्वविद्यालयों और इससे संबद्ध संस्थाओं जहाँ गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री तैयार किया जाता है, योजनान्तर्गत चयनित कृषक पौध सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु पौधा क्रय से संबंधित मूल्य अभिश्रव सहायक निदेशक उद्यान के कार्यालय में समर्पित करना होगा, तत्पश्चात् नियमानुसार सहायतानुदान देय होगा।

6.7 कार्यक्रम हेतु इनपुट आधारित वैसे सभी अवयवों जिसके कार्यान्वयन के लिए सामग्री/उपादान इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एजेंसी की आवश्यकता होती है, के लिए राज्य बागवानी मिशन मुख्यालय द्वारा विभिन्न एजेंसियों को पंजीकृत किया जाता है। वैसे कम्पनी जिसका पंजीकरण संबंधित वित्तीय वर्ष में वैध हो या नवीनीकृत हो, से वैसे सभी अवयवों के तहत् सामग्री/उपादान कृषकों द्वारा एजेंसी से ही DBT in Cash/DBT in Kind (दोनों में से किसी भी एक युक्ति से, जैसा कृषक चाहे) क्रय/प्राप्त कराकर कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

राज्य बागवानी मिशन मुख्यालय से पंजीकृत एजेंसियों के अतिरिक्त अन्य किसी एजेंसियों से कृषक द्वारा ऐसे अवयवों के तहत् सामग्री/उपादान क्रय कर कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाने की स्थिति में उक्त कृषकों को अनुमान्य अनुदान देय नहीं होगा। इसका अनुपालन सहायक निदेशक उद्यान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7. <u>कार्यक्रम का सत्यापन</u> :–

7.1 अवयवार निर्गत Online स्वीकृत्यादेश के आलोक में कार्यान्वयन अनुदेश के कंडिका–6 में वर्णित प्रक्रिया के तहत् सामग्री/उपादान DBT in Cash/DBT in Kind (दोनों में से किसी युक्ति से जैसा कृषक चाहे) क्रय कर चयनित कृषकों द्वारा कार्यक्रम सम्पादित किया जायेगा।

7.2 नियमानुसार सक्षम प्राधिकार (सहायक निदेशक उद्यान) द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत निर्गत स्वीकृत्यादेश में कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित अवधि के समाप्ति उपरान्त संबंधित प्रखंड के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी या सहायक निदेशक उद्यान द्वारा प्राधिकृत (केवल तृतीय वर्ग के कर्मी) कर्मियों द्वारा सत्यापन का कार्य 7 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा।

नोडल पदाधिकारी
MIDH, (NHM,
बिहार बागवानी विकास सोसाइटी, पटना

7.3 कार्यक्रम के सत्यापन के क्रम में जियो टैग, सेल्फी फोटोग्राफ संबंधित सत्यापनकर्ता कर्मी एवं लाभुक के साथ कराना अनिवार्य होगा।

7.4 कार्यक्रम के सत्यापनोपरान्त **ऑनलाईन प्रतिवेदन** तथा फोटोग्राफ निर्धारित समय सीमा के अन्दर Online Upload/Entry किया जायेगा।

7.5 ऑनलाईन सत्यापन प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में सहायक निदेशक उद्यान द्वारा नियमानुसार सहायतानुदान की विमुक्ति सुनिश्चित की जायेगी।

8. DBT कार्यक्रम के तहत् अनुमान्य अनुदान विमुक्ति की प्रक्रिया :-

8.1 DBT कार्यक्रम के तहत् लाभुकों को अनुमान्य अनुदान कि विमुक्ति निम्न निरूपित दो विधि (यथा DBT in Cash/DBT in Kind) में से किसी भी विधि से किया जा सकता है, बशर्त्ते कि लाभुक कृषकों का Biometric Authentication उनके आधार नम्बर के साथ हो।

8.2 **In cash transfer:-DBT** कार्यक्रम के इस प्रक्रिया के तहत् कृषि विभाग के DBT Portal में पंजीकृत वैसे लाभुक कृषक जिनके द्वारा योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन किया गया है, तथा स्वयं के श्रोत/पूंजी/राशि से योजना के लिए आवश्यक पौध रोपण सामग्री/इनपुट इत्यादि चिन्हित विभागीय नर्सरी/कृषि विश्वविद्यालयों/बिहार बागवानी विकास सोसाइटी से इनपुट/सामग्री/उपादान उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत/सूचीबद्ध/निविदा से चयनित किए गए एजेन्सी से नकद क्रय कर योजना का कार्यान्वयन कराया जाता है, तो वैसे कृषकों के कार्यान्वित योजनाओं के क्षेत्र सत्यापनोपरांत पूर्ण संतुष्टि होने पर अनुमान्य अनुदान की राशि भुगतान हेतु नियमानुसार संचिका में प्रक्रिया अपनाकर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा संबंधित लाभुक कृषकों के Online **आवेदन** के क्रम में अंकित आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे PFMS के माध्यम से हस्तांतरित किया जायेगा।

स्ट्रॉबेरी/ड्रैगन फ्रूट/अनानास/Other Aromatic Plants/ खुले फूल की खेती/मशाला की खेती हेतु पौध सामग्री/बीज की व्यवस्था कृषक द्वारा स्वयं किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः इस अवयव हेतु कार्यान्वित योजनाओं के क्षेत्र सत्यापनोपरांत पूर्ण संतुष्टि होने पर अनुमान्य अनुदान की राशि भुगतान हेतु नियमानुसार संचिका में प्रक्रिया अपनाकर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा संबंधित लाभुक कृषकों के Online **आवेदन** के क्रम में अंकित आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे PFMS के माध्यम से हस्तांतरित किया जायेगा।

27/07/2022
नोडल पदाधिकारी
MIDH, (NHM)
बिहार बागवानी विकास सोसाइटी, पटना

8.3 **In kind transfer :–**

(क) DBT कार्यक्रम के इस प्रक्रिया के तहत् कृषि विभाग के DBT Portal में पंजीकृत वैसे लाभुक कृषक जिनके द्वारा योजना के लिए आवश्यक पौध रोपण सामग्री/इनपुट/उपादान इत्यादि बिहार बागवानी विकास सोसाईटी से चिन्हित सरकारी नर्सरी/कृषि विश्वविद्यालय/कृषि महाविद्यालय/ कृषि विज्ञान केन्द्र या बिहार बागवानी विकास सोसाइटी से इनपुट/उपादान/सामग्री उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत/सूचीबद्ध/निविदा से चयनित किए गए एजेंसी से उधार क्रय कर योजना का कार्यान्वयन कराया जाता है, तो वैसे कृषकों के कार्यान्वित योजनाओं का क्षेत्र सत्यापनोपरांत पूर्ण संतुष्टि होने पर अनुमान्य अनुदान की राशि सहायक निदेशक उद्यान द्वारा निम्न पद्धति से PFMS के संशोधित प्रक्रिया के तहत विमुक्त/हस्तांतरित किया जाएगा :–

(i) लाभुक कृषकों के द्वारा निबंधित एजेंसी सेलिये गये सामग्री/इनपुट इत्यादि के अभिश्रव के कुल कीमत पर प्रावधानित देय अनुमान्य अनुदान की कुल राशि का 10% राशि लाभुक कृषक द्वारा अपने Online आवेदन में अंकित बैंक खाते से RTGS/Cheque/DD/किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से संबंधित सामग्री/इनपुट उपलब्ध/आपूर्ति करने वाले एजेंसी के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा **(एजेंसी को अपना बैंक खाता संख्या आई.एफ. एस.सी. कोड सहित एवं संबंधित बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति या Cancelled Cheque साक्ष्य के रूप में सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय में जमा करना होगा)।**

(ii) यदि कृषक के आवेदन में वर्णित बैंक खाते में चेक की सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो वैसी स्थिति में कृषक प्रावधानित देय अनुमान्य अनुदान की कुल राशि का 10 प्रतिशत राशि **नकद भी संबंधित एजेंसी को भुगतान कर सकते हैं, परंतु संबंधित एजेंसी को अपने फर्म के क्रमांकित Money Receipt उक्त कृषकों को निर्गत करना अनिवार्य होगा, जिस पर कृषकों का प्राप्ति का प्रमाण अंकित कराना अनिवार्य होगा। किसी भी सरकारी कर्मी द्वारा यह राशि प्राप्त नहीं की जायेगी।**

उपरोक्त क्रमांक (i) एवं (ii) पर वर्णित निदेश में कृषकों द्वारा फर्म को अनुमान्य अनुदान की 10% राशि एवं फर्म को भुगतान की

नोडल पदाधिकारी
MIDH, (NHM)
बिहार बागवानी विकास सोसाइटी, पटना

जाने वाली अनुमान्य अनुदान की 90% राशि की गणना एवं प्रक्रिया को निम्न सारणी से समझा जा सकता है :–

अवयवार सहायतानुदान की गणना (सामान्य श्रेणी के लिए)								
क्र०सं०	अवयव	इकाई	इकाई लागत	कुल सहायतानुदान	सहायतानुदान भुगतान की प्रक्रिया			एकाउन्ट टैगिंग हेतु कृषक अंश की राशि 10% (Refundable)
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	प्रथम किस्त (60 / 75%)	द्वितीय किस्त (20 / 25%)	तृतीय किस्त (20%)	
1	क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	हे०						
	(क) सघन बागवानी	हे०	100000.00	50000 (50%)	30000 - X.Y	10000.00	10000.00	-
	(ख) टिश्यू कल्चर केला	हे०	125000.00	62500 (50%)	46875 - X.Y	15625.00	-	4687.5
	(ग) अनानास	हे०	87500.00	43750 (50%)	32812.5	10937.5	-	-
	(घ) पपीता	हे०	60000.00	45000 (75%)	33750 - X.Y	11250.00	-	3375.00
2	इनपुट / उपादान / सामग्री आधारित अवयव							
	मधुमक्खी बॉक्स+आठ फ्रेम छत्ता सहित।	प्रति बॉक्स	4000.00	3000 (75%)	3000.00			300.00
				3600 (90%) SC/ST	3600			360.00

उपरोक्त तालिका के :–

a) कॉलम 06 (प्रथम किस्त) में वर्णित **'X'** प्रति हेक्टेयर पौधा की संख्या तथा **'Y'** प्रति पौधे विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य को दर्शाता है।

b) कॉलम 09 की राशि, कृषक द्वारा अपने खाते से एजेंसी के खाते में चेक / आर.टी.जी.एस. / डिमाण्ड ड्राफ्ट / अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से स्थानांतरित करेगा या नकद भुगतान कर फर्म से Money Receipt प्राप्त किया जायेगा, यह राज्य स्तर से चयनित एवं पंजीकृत कम्पनियों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली इनपुट / उपादान / सामग्री से संबंधित अवयवों के लिए लागू होगा।

c) पौध सामग्री का मूल्य प्रथम वर्ष के अनुमान्य अनुदान की राशि से समायोजित किया जायेगा। पौधे का मूल्य प्रथम वर्ष के अनुमान्य अनुदान की राशि से अधिक होने पर पौधे के मूल्य की अवशेष राशि कृषक द्वारा अपने खाते से एजेंसी के खाते में चेक / आर.टी.जी.एस. / डिमाण्ड ड्राफ्ट / अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या नकद के रूप में भुगतान किये गये अनुमान्य अनुदान की **10% राशि से** समायोजित करा सकते हैं।

d) चिन्हित विभागीय नर्सरी / कृषि विश्वविद्यालय / सरकारी संस्थान से कृषकों द्वारा उधार क्रय किये गये पौधे के मूल्य की कुल कीमत (किसान का अंश एवं अनुदान की राशि) सहायक निदेशक उद्यान द्वारा सीधे संबंधित संस्थान को PFMS के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

e) इनपुट / उपादान / सामग्री आधारित अवयव यथा परागन को बढ़ावा कार्यक्रम अन्तर्गत मधुमक्खी बॉक्स वितरण इत्यादि अवयवों अन्तर्गत अवयवार निर्धारित

24.03.2022
नोडल पदाधिकारी
MIDH, (NHM)
बिहार बागवानी विकास सोसाइटी, पटना

इकाई लागत का नियमानुसार अनुमान्य अनुदान की राशि का 10 प्रतिशत कृषक द्वारा अपने खाते से **एजेंसी** के खाते में चेक/आर.टी.जी.एस./डिमाण्ड ड्राफ्ट/अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्तिके माध्यम से स्थानांतरित करेगा या नकद भुगतान कर फर्म से Money Receipt प्राप्त किया जायेगा। जिसके आधार पर पंजीकृत कम्पनियों द्वारा कृषकों को उपादान की आपूर्ति की जायेगा, तथा कृषकों के सहमति प्रमाण–पत्र के आधार पर अवयवार अनुमान्य अनुदान की राशि संबंधित कम्पनीयों को DBT कार्यक्रम के तहत् PFMS के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। **कृषक शेयर के भुगतान हेतु पूर्ण जिम्मेवारी पंजीकृत कम्पनी की होगी।**

f) एजेंसी द्वारा लाभुक कृषकों के प्रमाण–युक्त अभिश्रव के साथ कृषक द्वारा अनुमान्य अनुदान की 10% राशि के एजेंसी के बैंक खाते में भुगतान/हस्तांतरण किये गये Transaction का साक्ष्य या नकद भुगतान किये जाने की स्थिति में फर्म द्वारा अपने फर्म का क्रमांकित कृषकों को निर्गत किये गये मनी रसीद की प्रति का साक्ष्य अभिश्रव के साथ Sub-voucher के रूप में संलग्न कर सहायक निदेशक उद्यान को समर्पित किया जाएगा, जिसके जाँचोपरांत सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अभिश्रव की राशि पर देय अनुमान्य अनुदान की कुल राशि का शेष 90% राशि एजेंसी के संबंधित बैंक खाते एवं 10% राशि संबंधित लाभुक के संबंधित बैंक खाते में PFMS के माध्यम से विमुक्त कर दिया जायेगा।

इस प्रकार DBT कार्यक्रम के तहत् In Kind Transfer में देय अनुमान्य अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण किया जायेगा।

(ख) नया बाग के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में कृषकों को उधार में उपलब्ध कराये गये पौध रोपण सामग्री के कुल मूल्य का समायोजन यदि प्रथम किस्त के अनुमान्य अनुदान की राशि से प्रतिपूरित नहीं हो पाती है तो प्रथम किस्त के अनुमान्य अनुदान की राशि समायोजन के पश्चात् पौध रोपण सामग्री के अवशेष मूल्य (कीमत) की प्राप्ति संबंधित लाभुक कृषक से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8.4 "Strategy for promotion of Exotic and Niche Fruit crops" से संबंधित भारत सरकार का पत्रांक F.No. 33-4/2020-MIDH (AAP) दिनांक 05.04.2020 के द्वारा आँवला, जामुन एवं कटहल फलों का क्षेत्र विस्तार सामान्य घनत्व के रूप में किया

नोडल पदाधिकारी
MIDH, (NHM)
बिहार बागवानी विकास सोसाइटी

284

जा सकेगा। अनुदान की राशि की गणना के लिए एम.आई.डी.एच. मार्गदर्शिका के अनुसार सामान्य घनत्व पौधरोपण हेतु रू० 0.60 लाख/हे० निर्धारित इकाई लागत मान्य है।

9. दायित्त्व :–

9.1 किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/ATM/BTM/प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी का दायित्त्व

9.1.1 स्वीकृत योजना के संबंध में कृषकों के बीच प्रचार–प्रसार करना तथा Online के बारे में जानकारी देना।

9.1.2 अपने–अपने कार्यक्षेत्रों में इच्छुक कृषकों को स्वीकृत योजना के अवयवार लक्ष्य के आलोक में प्रखंडवार उपावंटित लक्ष्य के तहत् Online आवेदन कराना।

9.1.3 अवयवार प्रत्येक दिन प्राप्त Online आवेदन के साथ Upload किया गया कागजात/वर्णित भूमि का सत्यापन कर, अनुशंसा के साथ कार्यादेश निर्गत करने हेतु सहायक निदेशक उद्यान के Login में निर्धारित समय सीमा (आवेदन की तिथि से 7 दिन) के तहत् भेजना।

9.2 सहायक निदेशक उद्यान का दायित्त्व

9.2.1 जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला बागवानी विकास समिति/उपसमिति से राज्य बागवानी मिशन मुख्यालय द्वारा जिलों को आवंटित लक्ष्य का अनुमोदन प्राप्त कर क्रियान्वित किया जायेगा।

9.2.2 योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु कार्यशाला, जागरूकता अभियान इत्यादि का आयोजन।

9.2.3 उपसमिति की बैठक में अवयवार निर्गत कार्यादेश को समय–समय पर सत्यापन के साथ–साथ पहले **"पहले आओ पहले पाओ का पूर्ण सत्यापन"।**

9.2.4 प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी/कृषि समन्वयक को संबंधित प्रखण्ड/पंचायत हेतु स–समय लक्ष्य उपलब्ध कराना तथा उस लक्ष्य के विरूद्ध लक्ष्य प्राप्ति का समीक्षा करना।

9.2.5 लक्ष्य का उपावंटन प्रखंड में संबंधित फसल की Potentiality के हिसाब से सुनिश्चित करना।

9.2.6 निष्पादित कार्यक्रम का बिना किसी बिलम्व के भौतिक सत्यापन हेतु निदेशित करना तथा सुनिश्चित करवाना।

नोडल पदाधिकारी
MIDH, (NHM)
बिहार बागवानी विकास सोसाइटी पटना

9.2.7 योजना के प्रगति का समीक्षा करना तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन से प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/मिशन निदेशक को अवगत कराना। साथ ही साथ Hortnet Portal पर अवयवार प्रगति को सॉफ्टवेयर में अपलोड करना।

9.2.8 दिए गए निर्देश के आलोक में अनुमान्य अनुदान ससमय भुगतान सुनिश्चित करना।

9.4 प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान –:

9.4.1 प्रमण्डल स्तर पर योजना के प्रगति का पर्यवेक्षण एवं मासिक समीक्षा करना एवं बैठक की कार्यवाही से मिशन मुख्यालय को अवगत कराना।

9.4.2 उप समिति की बैठक करना तथा सहायक निदेशक उद्यान के एजेंडों पर निर्णय एवं निदेश देना।

9.4.3 योजना के तहत् विभिन्न अवयवों के कार्यान्वयन के उचित समय को ध्यान में रखते हुए अपने प्रमंडल के सहायक निदेशक उद्यान को आवश्यक दिशा–निर्देश देना ताकि योजना की प्रगति समय से हो सके।

9.5 प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) :–

9.5.1 प्रमंडल स्तर पर योजना की प्रगति का समीक्षा करना।

9.6 योजना के नोडल पदाधिकारी का दायित्व –:

9.6.1 योजना का समय–समय पर उचित माध्यम से समीक्षा करना।

9.6.2 योजना के कार्यान्वयन के क्रम में जिलों से प्राप्त पत्रों का त्वरित निष्पादन कराकर निदेश उपलब्ध कराना।

9.6.3 योजना के मासिक प्रगति के समेकित प्रतिवेदन तैयार कराकर मिशन निदेशक राज्य बागवानी मिशन को उपलब्ध कराना।

9.7 जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष, जिला बागवानी विकास समिति का दायित्व

9.7.1 जिला पदाधिकारी अपने जिला में इस कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालन करवायेंगे एवं योजना का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करेंगे।

9.8 मिशन निदेशक –:

9.8.1 राज्य स्तर पर योजना का समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करेगें।

9.8.2 योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन।

22/08/2022

नोडल पदाधिकारी
MIDH, (NHM
बिहार बागवानी विकास सोसाइटी, प॰

282

9.8.3 लक्ष्य के विरूद्ध अधिकतम उपलब्धि हेतु जिला को आवंटित लक्ष्य में परिवर्तन कर सकेंगे।

10. <u>कार्यक्रम का निरीक्षण</u> :–

10.1 **प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी, प्रखण्ड में कार्यान्वित योजनाओं का स–समय शत–प्रतिशत निरीक्षण करेंगे** तथा निरीक्षण प्रतिवेदन जियो टैग फोटोग्राफ के साथ अपलोड करेगें।

10.2 जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान, जिला में संचालित योजनाओं का **10 प्रतिशत** निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन मन्तव्य के साथ एक सप्ताह के अन्दर अपलोड करेगें।

10.3 प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान के द्वारा प्रमण्डल में कार्यान्वित योजनाओं का **2 प्रतिशत** निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अपलोड करेगें।

10.4 मुख्यालय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारी **1 प्रतिशत** योजनाओं का निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर मिशन निदेशक को समर्पित करेंगे।

11. <u>कार्यक्रम का अनुश्रवण</u> :–

11.1 जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक उद्यान, प्रमण्डल स्तर पर उप निदेशक उद्यान एवं राज्य स्तर पर संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी द्वारा कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा।

12. <u>योजना का प्रगति प्रतिवेदन</u> :–

सहायक निदेशक उद्यान द्वारा इस कार्यक्रम के प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) राज्य बागवानी मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गये Online Software में सप्ताह के प्रत्येक वृहस्पतिवार को निश्चित रूप से अपलोड किया जायेगा। समीक्षा के क्रम में जिलावार Online Software पर Uploaded प्रतिवेदन ही मान्य होगा।

नोडल पदाधिकारी
MIDH, (NHM)
बिहार बागवानी विकास सोसाइटी, पटना

मिशन निदेशक,
राज्य बागवानी मिशन,
बिहार, पटना।